फैक्स

संख्या : 631 / 1-10-2014-14(15) / 2009

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ : दिनॉक : 03 जुलाई 2014

विषय: वर्ष-2012 की बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013-14 के जून माह में उत्तराखण्ड में अतिवृष्टि/बादल फटने के कारण प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपद प्रभावित रहे। इस प्रभाव के कारण इन जनपदों में जन धन की क्षति के साथ ही साथ सार्वजनिक परिसम्मपत्तियों की व्यापक क्षति हुई। तदन्तर, माह जुलाई से सितम्बर के मध्य समय-समय पर हुई भारी बारिश के कारण प्रदेश का पूर्वी एवं मध्य क्षेत्र बाढ़ से भयंकर रूप से दो बार प्रभावित हुआ। माह अगस्त एवं सितम्बर में प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में हुई भारी बारिश एवं मध्य प्रदेश से आने वाली विभिन्न नदियों में अत्यधिक जल प्रवाह होने के कारण सम्पूर्ण बुंदेलखण्ड क्षेत्र सहित इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर एवं बलिया भयंकर रूप से बाढ़ से प्रभावित रहे। इस दौरान गंगा एवं यमुना नदी का जलस्तर वर्ष-1978 के बाद अधिकतम स्तर (HFL) पर रहा। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाढ़ से निपटने हेतु एन0डी0आर0एफ0, सेना एवं पी0ए0सी0 की बाढ़ कम्पनियों का सहयोग लिया गया।

2- यह उल्लेख करना है कि राज्य आपदा मोचक निधि मे प्राविधानित धनराशि से प्रथमतः राज्य में होने वाले दैवीय आपदा से पीड़ित परिवारों/व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने हेतु दी जाती है, इसके साथ ही साथ प्रदेश में दैवीय आपदाओं से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु धनराशि भी स्वीकृत की जाती है। वर्ष 2013-14 में आयी भयंकर बाढ़ के फलस्वरूप राज्य आपदा मोचक निधि में उपलब्ध धनराशि रू0 664.13 करोड़ में से रू0 287.97 करोड़ की धनराशि आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान किए जाने हेतु तथा रू0 368.49 करोड़ क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु शासन द्वारा स्वीकृत की गयी है। प्रभावित जनपदों में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि दिया जाना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013-14 में आयी अप्रत्याशित भयंकर बाढ़ के फलस्वरूप आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान किए जाने और क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु जनपदों से प्राप्त आंकलन के आधार पर रू0 3210.00 करोड़

का बाढ़ नमारण्डन दिनांक 25.10.2013 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया था परन्तु इस सम्बन्ध में भारत सरकार से कोई अतिरिक्त धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

3— अतः उपरोक्त तथ्यों एवं राज्य आपदा मोचक निधि में उपलब्ध सीमित धनराशि को दृष्टिगत रखते हुए राज्य स्तरीय दवी आपदा राहत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य आपदा मोचक निधि से वर्ष–2012 की बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त का अवशेष धनराशि दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः वर्ष 2012 की बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु कराये जाने वाला अवशेष कार्य सम्बन्धित विभाग के विभागीय मद से कराया जाय।

भवदीय

(अलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1— प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, पंचायती राज, गन्ना विकास, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3— प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन।
5— राजस्व अनुभाग–11/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।